राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5673/2022

विश्राम सिंह (कर्मचारी आई.डी.–आरजेबीपी199207018417)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.10.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कांस्टेबल के पद पर विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त की थी वे टेक्निकल पद पर कार्यरत है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र के द्वारा तकनीकी व विशिष्ट घोषित संवर्गों, जहां सहायक उप निरीक्षक का पद नहीं है, के विषय में राज. सरकार ने निर्णय लिया है कि इन संवर्गों में विद्यमान पदोन्नति पद के समकक्ष चयनित वेतनमान देय होगा एवं इसी प्रकार पत्र दिनांक 27.12.2002 द्वारा भी कांस्टेबल MT/RAC तकनीकी कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देने के संबंध में जारी किया गया है। पूर्व में भी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न विसंगति को दूर करने हेतु कांस्टेबल चालक/आरएसी को तकनीकी पद मानते हुए 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान दिये जाने का निवेदन किया गया था। विभाग के पत्र दिनांक 05.06.2014 द्वारा संयुक्त शासन सचिव ग्रुप (ग्रुप–1) विभाग

राजस्थान जयपुर को वेतन विसंगति को दूर करने हेतु चालक का/आरएसी को तकनीकी पद मानते हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नत पद की ग्रेड–पे का चयनित वेतनमान दिए जाने की संशोधित आदेश जारी कराने हेतु लिखा गया। इसी प्रकार के मामले से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3926/2013 कुलदीप सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में प्रत्यर्थी विभाग को समान वेतन देने का आदेश दिया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और अपीलार्थी को 18 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर पुनः विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जावे और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन पर विचार कर निस्तारण करने का आदेश फरमाया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)